विकास और समृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी

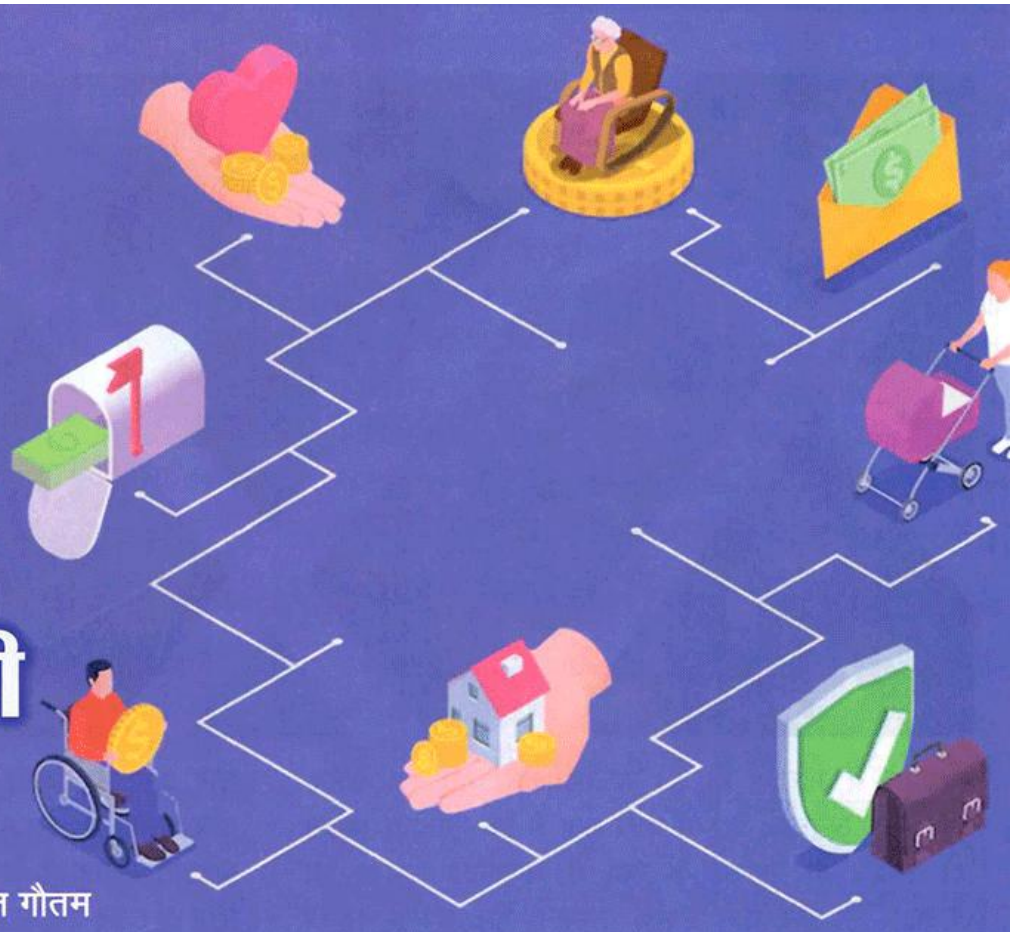

*डॉ. हरेंद्र राज गौतम

भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली काफी व्यापक है, जिसमें सामाजिक बीमा सुरक्षा, सीधी वित्तीय सहायता, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्तर पर शुरू होती हैं और कुछ मामलों में राज्य सरकारों द्वारा इसमें कुछ वृद्धि एवं अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रकृति में बेहद समग्र है और हमारे देश में इसके अंतर्गत लोगों के जीवन और उनके सम्मानपूर्ण तरीके से जीवनयापन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, सामाजिक संरक्षण को "ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों का एक समूह कहा जाता है जो गरीबी, असुरक्षा और जीवनचक्र के दौरान सामाजिक बहिष्कार को कम करने और रोकने के लिए तैयार किए गए हैं।" समग्र रूप से सामाजिक सुरक्षा 9 मुख्य क्षेत्रों से बनी होती है, जिसमें बाल और परिवार लाभ, मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी सहायता, कार्य के दौरान चोट/दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ, बीमारी लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा, वृद्धावस्था लाभ, विकलांगता/अक्षमता लाभ और उत्तरजीवी लाभ शामिल हैं।

विश्व बैंक का मानना है कि अच्छी तरह से तैयार किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निवेश पर उच्च प्रतिफल मिलता है और उसका यह भी कहना है कि गरीब परिवारों को दिए गए प्रत्येक डॉलर के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित 2.49 डॉलर का गुणक प्रभाव होता है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ने वैश्विक रूप से यह सिद्ध किया है कि यह मानवाधिकारों और मौलिक आवश्यकताओं को एक साथ संबोधित करने और समाज के सभी स्तरों पर सार्थक रूप से भाग लेने की क्षमता को मज़बूत करने की सबसे प्रभावी और सरल रणनीतियों में से एक है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 2030 तक के सतत विकास एजेंडा के एक हिस्से के रूप में सामाजिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, और एजेंडा का पहला लक्ष्य "सभी जगह से सभी प्रकार की गरीबी का अंत" करना है, जो "सभी के लिए, विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के लिए उचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और उपायों के कार्यान्वयन" का आह्वान करता है। साथ ही, यह वर्ष 2030 तक "गरीब और असुरक्षित लोगों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा" का लक्ष्य प्राप्त होने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। व्यक्ति का सुरक्षित माहौल में होना यानी 'सुरक्षित' होना कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक अधिकार है, जिसे दुनिया की

*लेखक डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर एवं प्रमुख रह चुके हैं।
ई-मेलः hrg_mpp@yahoo.com

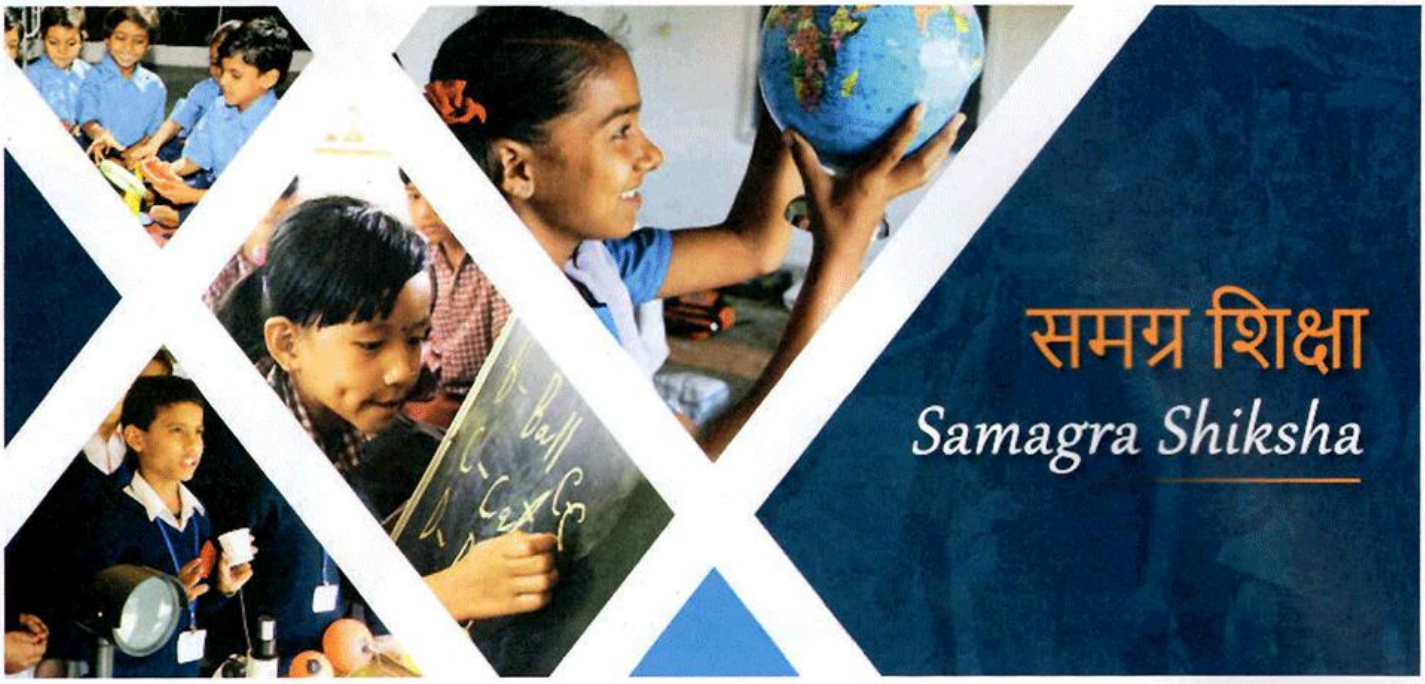

सरकारों ने मान्यता दी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और उसे उसके सम्मान और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार है।" वर्ष 2012 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान 184 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस अधिकार की फिर से पुष्टि की गई थी। इसके साथ, वैश्विक समुदाय ने यह स्वीकार कर लिया है कि सभी उम्र के लोगों के लिए कम से कम एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि वे गरिमा, शांति, स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीवन जी सकें।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए गठित 56वें आयोग के नागरिक समाज घोषणापत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि दुनिया की 71% आबादी के पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, और 75 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। इसके अलावा, दुनिया के मात्र लगभग 29% कामकाजी लोगों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी रूप से लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 यह बताती है कि पहली बार, दुनिया की आधी से अधिक आबादी (52.4 प्रतिशत) को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ मिला है, जो 2015 के 42.8 प्रतिशत से अधिक है। यह रिपोर्ट आगे बताती है कि वैश्विक स्तर पर अधिकांश बच्चों (76.1 प्रतिशत) के लिए अभी भी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है, और पुरुषों के 54.6 के लिए प्रतिशत की तुलना में 50.1 प्रतिशत महिलाओं के लिए प्रावधान के साथ एक महत्वपूर्ण लिंग अंतराल कायम है।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यक्तियों, समुदायों, राष्ट्रों और समाजों के सतत सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। सामाजिक सुरक्षा गरीबी को रोकने और कम करने में मदद कर सकती है और आबादी के गरीब और कमज़ोर वर्ग के लिए सामाजिक समावेश और सम्मान को भी बढ़ावा देती है। यह आर्थिक विकास में योगदान देती है; आय में वृद्धि से उपभोग, बचत और निवेश में वृद्धि होती है, और यह घरेलू स्तर पर मांग बढ़ाती है। यह मानव विकास को भी प्रोत्साहित करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नकद हस्तांतरण की सुविधा पोषण और शिक्षा तक पहुँच को सुविधाजनक बनाता है, परिणामस्वरूप बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, उच्च विद्यालय नामांकन दरें, स्कूल छोड़ने की दर में कमी और बाल श्रम में गिरावट होती है। विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई मदद उत्पादकता और रोज़गार क्षमता में वृद्धि करती है, जिससे मानव पूंजी और उत्पादक संपत्ति में सुधार होता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं व्यक्तियों और परिवारों को महामारी, प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक मंदी जैसे झटकों से होने वाले नुकसान से बचाती हैं। समग्र रूप से, ये योजनाएं राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति का निर्माण करती हैं, असमानताओं, सामाजिक तनाव और हिंसक संघर्ष को कम करती हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिक सामाजिक सामंजस्य और भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। सामाजिक सुरक्षा एक मानवाधिकार है जिसका पूरा लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य

को मिलना चाहिए, जिसमें बच्चे, माताएं, विकलांग व्यक्ति, श्रमिक, बुजुर्ग, प्रवासी, मूल निवासी और अल्पसंख्यक शामिल हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र को सभी सामाजिक क्षेत्रों में सबसे अधिक प्राथमिकता और वित्तपोषण मिलता है। भारतीय संविधान में 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 10 लाख बस्तियों में 19.2 करोड़ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए लक्षित है। समग्र शिक्षा योजना की एक और एकीकृत टॉप-अप योजना है, जो प्री-स्कूल से लेकर कक्षा XII तक की स्कूल शिक्षा को सम्मिलित करती है। इसमें 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ से अधिक छात्र और 57 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ भी संरेखित की गई है कि सभी बच्चों की एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने स्नातक स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया है, वहीं कर्नाटक में स्नातकोत्तर स्तर तक लड़कियों के लिए निशुल्क शिक्षा का विस्तार किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क करने की घोषणा की है। बिहार में, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना नामक राज्यव्यापी बाल लाभ योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य 0-21 वर्ष की 1.6 करोड़ लड़कियों और युवतियों को शामिल करना है, ताकि लैंगिक असमानता और भेदभाव को दूर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) की 2019 की रिपोर्ट में इसका उल्लेख मिलता है।

पीएम पोषण योजना

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण समर्थन कार्यक्रम एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है और हाल ही में इसे **पीएम पोषण योजना** का नाम दिया गया है। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है, ताकि नामांकन में वृद्धि हो, स्कूल छोड़ने की दर कम हो, और उपस्थिति दर में वृद्धि हो, साथ ही साथ पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो। यह योजना 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करती है, जो 11.2 लाख स्कूलों में पढ़ते हैं। यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है।

खाद्य सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा

भोजन का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मानवाधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भोजन का अधिकार

एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है, क्योंकि गरीबी पर्याप्त भोजन, आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, शिक्षा और अन्य अधिकारों को प्रभावित करती है। सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को धीरे-धीरे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विभिन्न खाद्य सहायता और सब्सिडी कार्यक्रम गरीबी और भूख को समाप्त करने में योगदान करते हैं, क्योंकि वे गरीबी में रहने वाले लोगों को संसाधन हस्तांतरित करते हैं, जिससे उन्हें आय उत्पन्न करने, अपनी संपत्तियों की रक्षा करने और मानव पूंजी संचित करने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण के लिए खाद्य सब्सिडी प्रदान करती है।

वर्ष 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने पोषण सुरक्षा को एक अधिकार बना दिया। भारत की खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कम आय वाले परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों जैसी कमज़ोर आबादी के बीच भूख और कुपोषण से निपटने के लिए कई पहल शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने इस विशाल कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और आगे भी इसे जारी रखा हुआ है। जुलाई 2024 तक, FCI के केंद्रीय भंडार में 608.75 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न था, जो 411.20 लाख मीट्रिक टन के भंडारण मानक को पार कर गया है। यह बड़ा बफर स्टॉक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और देश भर में अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को TPDS के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को समायोजित करता है, जिसमें 16 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोविड 19 महामारी के दौरान सरकार ने अपने 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए मासिक खाद्यान्न की मात्रा लगभग दोगुनी कर दी थी, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 28 महीने तक 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया गया , जो दिसंबर 2022 तक जारी रहा । केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं में से, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) समाज के सबसे कमज़ोर 8.92 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल है।

पोषण सुरक्षा की दिशा में एक अन्य पहल फोर्टिफाइड चावल है, जो आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। वर्ष 2019-20 से शुरू इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 31 मार्च, 2024 तक लगभग 406 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चावल फोर्टिफिकेशन की पहल 2028 तक 100% सरकारी वित्तपोषण के साथ जारी रहेगी। तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के पिछड़े और गरीब लोगों को पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाली खाद्य कैंटीन भी शुरू की हैं।

गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर

वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख घटक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक परिवारों, यानी लगभग 55 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक व्यापक द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के अस्पताल में भर्ती होने पर देखभाल लाभ प्रदान करती है। देश में स्वास्थ्य संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के साथ, योजना की एक प्रमुख उपलब्धि अब तक 7.79 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती देखभाल प्रदान करना रही है, जिसके तहत 1,07,125 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ लोगों को दिया जा चुका है। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने 2024 में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के व्यापक विस्तार को मंजूरी दी है, और अब सभी 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों

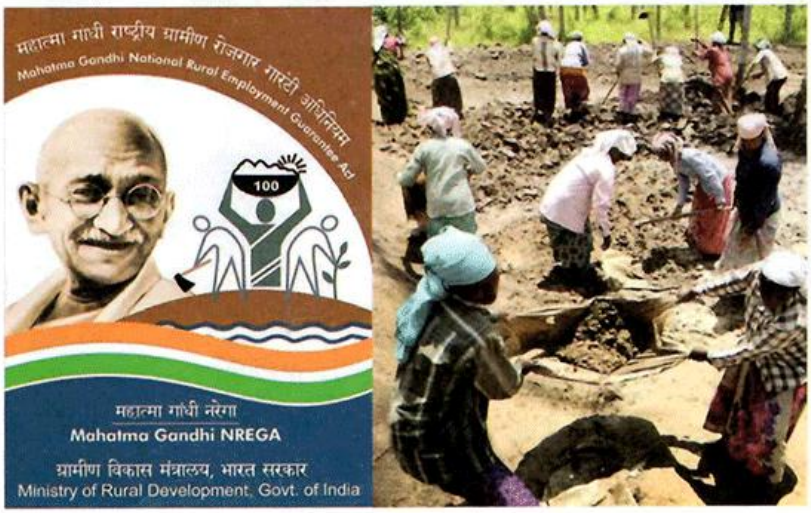

को,चाहे उनकी आय कितनी भी हो,स्वास्थ्य कवर प्राप्त होगा। इस विस्तार से लगभग 4.5 करोड़ और परिवारों और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद है।

रोज़गार के अधिकार के साथ सामाजिक सुरक्षा

रोज़गार का अधिकार और श्रम कल्याण 'सामाजिक सुरक्षा' के महत्वपूर्ण घटक हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि रोज़गार सृजित किए जाएं और श्रमिकों को कौशल अर्जित करने और श्रम बाज़ार में बने रहने के लिए प्रेरित किया जाए। भारत में श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा 2020 में पेश की गई सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security, 2020) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य कर्मचारियों, असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से है, ताकि उन्हें,विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोज़गारी, बीमारी, काम करते हुए लगने वाली चोट या दुर्घटना की स्थिति में, मातृत्व या परिवार के कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सहित आय सुरक्षा प्रदान की जा सके।

संयुक्त राष्ट्र हॉट स्प्रिंग्स सम्मेलन (1943) ने घोषणा की थी कि "भूख और कुपोषण का पहला कारण गरीबी है; और गरीबी का पहला कारण कार्य का अभाव है।" महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गरीब और भूखे व्यक्ति के लिए भगवान रोटी हैं और वह कार्य के वादे में दिखाई देते हैं। भारत, जो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, की ग्रामीण आबादी के लिए स्थायी आजीविका के अवसर, कृषि का सतत विकास, रोज़गार के अवसरों का विस्तार, आय बढ़ाने, स्वास्थ्य में सुधार करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का दृष्टिकोण शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (बाद में इसे 'मनरेगा'- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया) एक महत्वपूर्ण श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य 'काम का अधिकार' सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोज़गार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में व्यक्ति-दिनों और महिलाओं की भागीदारी दर के मामले में मनरेगा द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर किया गया है, जो 2019-20 में उत्पन्न 265.4 करोड़ व्यक्ति-दिनों से बढ़कर 2023-24 में 309.2 करोड़ हो गया है, और महिला भागीदारी दर 2019-20 की 54.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.9% हो गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जब कोविड-19 का प्रभाव चरम पर था, 389.09 करोड़ व्यक्ति-दिनों का सृजन किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति थी, जिसने ऐसे राज्यों में अधिक व्यक्ति-दिन सृजन में योगदान दिया।

कोविड-19 महामारी ने सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए एक कठिन समय प्रस्तुत किया। भविष्य में कोविड-19 जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 'भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (कोविड-19)' योजना बनाई गई है, जिसमें $1.15 बिलियन का अनुदान है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत योजनाओं को मदद देने के लिए भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम को गति देगा।

वरिष्ठ नागरिकः सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2019 में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या एक अरब थी। यह संख्या 2030 तक 1.4 अरब और 2050 तक 2.1 अरब हो जाएगी। यह वृद्धि अभूतपूर्व गति से हो रही है और आने वाले दशकों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में और तेज़ी से होगी। जुलाई 2020 की जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बुज़ुर्ग जनसंख्या 2031 तक 19.34 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। यह नाटकीय वृद्धि 2011 की जनगणना में दर्ज 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से हुई, जिसमें बुज़ुर्गों से जुड़े स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के मुद्दों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। पेंशन वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा का सबसे व्यापक रूप है। दुनियाभर में, सेवानिवृत्ति आयु के ऊपर के 79.6% लोग पेंशन प्राप्त करते हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा दी हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभों के साथ सुरक्षित हैं। भारत में केंद्र सरकार के पेंशनरों की संख्या 67.95 लाख है, जिसमें सशस्त्र बल भी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी कोष से पेंशन की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 2022-2023 के बजट अनुमान में मौजूदा सेवानिवृत्त लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कारण केंद्र सरकार की पेंशन देयता 2.07 लाख करोड़ रुपये है, और सभी राज्य सरकारों की पेंशन देनदारियाँ 4,63,436.9 करोड़ रुपये है।

उन वरिष्ठ नागरिकों और बुज़ुर्गों के लिए भी कई योजनाएं हैं, जो पहले सरकारी क्षेत्र या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत नहीं थे। श्रम और रोज़गार मंत्रालय भी कुछ महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं को लागू कर रहा है

जैसे 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना', जो नए रोज़गार के सृजन सहित कोविड-19 महामारी के दौरान रोज़गार की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को EPFO के माध्यम से लागू की गई और 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन' योजना है जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है जिसमें भारत सरकार की ओर से समान योगदान किया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय और अन्य कल्याणकारी सेवाएँ दी जाती हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 200 रुपये की पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से आयोजित शिविरों में निःशुल्क जीवनरक्षक उपकरण वितरित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के 60-79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को प्रति लाभार्थी 200 रुपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, एनएसएपी की आईजीएनओएपीएस के तहत प्रति लाभार्थी 50 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह तक की टॉपअप राशि भी जोड़ रहे हैं। वर्तमान में देश में IGNOAPS के तहत लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.21 करोड़ है और इस योजना ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 100% संतृप्ति हासिल कर ली है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एक सेवानिवृत्ति लाभ कार्यक्रम है जिसमें व्यक्तिगत या संयुक्त निवेश किया जा सकता है,जो व्यक्ति को जमा बचत पर उच्च ब्याज दर अर्जित कराती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 1,000 से 15 लाख रुपये तक की राशि के साथ व्यक्तिगत या संयुक्त निवेश करके SCSS योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई रिवर्स मॉर्टगेज ऋण योजना भी वित्तीय सुरक्षा के लिए एक प्रभावी योजना है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक बैंक में अपनी संपत्ति गिरवी रख सकते हैं और आवासीय संपत्ति के मूल्य का 60% तक का अधिकतम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर सभी सामान्य स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को 65 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHSC) निशुल्क जानकारी, मार्गदर्शन और भावनात्मक मदद प्रदान करती है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में लगभग 56.5 करोड़ श्रमिक हैं, जिनमें से 45% कृषि में, 11.4% निर्माण में, 28.9% सेवाओं में, और 13% निर्माण में लगे हुए हैं। 31 जुलाई, 2024 तक, असंगठित श्रमिकों की संख्या, जिन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है, 29.85 करोड़ से अधिक हो गई है। कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कुछ बड़े संस्थानों के औपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ईएसआई योजना भारत के सभी राज्यों में 13.2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, बेरोज़गारी बीमा और बीमारी लाभ आदि सहित 6 प्रकार के लाभों के साथ सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

ईपीएफओ मुख्य रूप से वृद्धावस्था के लिए आय सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लगभग 25.2 करोड़ लाभार्थियों को भविष्य निधि, पेंशन फंड और जमा लिंक्ड बीमा फंड प्रदान करता है। सरकार असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 को लागू कर रही है, जिसके तहत निम्नलिखित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं: (i) जीवन और विकलांगता कवर; (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ; (iii) वृद्धावस्था सुरक्षा; और (iv) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य लाभ। ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत जीवन और विकलांगता कवर उपलब्ध हैं। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। यह 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो

सकते हैं। इस योजना के तहत मासिक अंशदान का 50% लाभार्थी द्वारा देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए भावी कार्यनीतियां

सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी तंत्र पर काम किसी भी देश के लिए एक सतत प्रक्रिया है। ये पहल क्रमिक, संचयी होनी चाहिए और बदलते जनसांख्यिकी और अन्य प्रभावकारी कारकों के साथ विकसित होनी चाहिए। हमें कुछ उपलब्धियों और उदाहरणों की आवश्यकता है जो हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, मुख्य रूप से उच्च आय वाले देशों में और अधिकांशतः यूरोप में 39 देशों ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तकरीबन हासिल कर ली है, जहां 80% से अधिक गर्भवती महिलाओं को मातृत्व नकद लाभ मिल रहा है। उदाहरण के लिए, उरुग्वे ने कई दशकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आवास पर केंद्रित एक ठोस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का लाभ उठाया है। यह देश लेटिन अमेरिका में किसी अन्य सरकार की तुलना में सामाजिक कार्यक्रमों पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है, जो कुल सार्वजनिक खर्च का 80% से अधिक और उसके जीडीपी का लगभग 25% है, जिसके चलते इस देश का क्षेत्र में अलग रुतबा है। विश्व बैंक ने, "एक समतावादी समाज, उच्च प्रति व्यक्ति आय, असमानता और गरीबी का स्तर कम होने और अत्यधिक गरीबी की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति" के लिए उरुग्वे की विशेष रूप से सराहना की है।

आयरलैंड में, समाज कल्याण और विकास में मज़बूत सार्वजनिक निवेश ने यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक को दुनिया में सबसे उच्च जीवन स्तर वाले देशों में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोपीय संघ से संरचनात्मक और सामंजस्य निधियों के रूप में प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता ने उनके प्रयासों को मजबूत किया, और आयरलैंड ने अपने नागरिकों को प्राथमिकता देते हुए मानवीय पूंजी विकास, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र के लिए औसत से अधिक धनराशि आवंटित की।

संक्षेप में, सामाजिक सुरक्षा हेतु वित्तपोषण अंतराल अभी भी काफी अधिक हैं। वर्ष 2024-26 की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, कम और मध्यम आय वाले देशों को कम से कम बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष अपनी कुल जीडीपी का 3.3% या US$1.4 ट्रिलियन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। इसमें आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीडीपी का 2.0% या US$833.4 बिलियन और पांच सामाजिक सुरक्षा नकद लाभों के लिए जीडीपी का 1.3% या US$552.3 बिलियन शामिल हैं। 'सामाजिक सुरक्षा' के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोज़ी द्वारा कहे गए ये शब्द बेहद मायने रखते है -"अर्थव्यवस्थाएं बेहतर प्रदर्शन करती हैं जब वहां कुशल सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं, क्योंकि वे श्रमिक उत्पादकता में सुधार करती हैं और संतुलित एवं सतत विकास को बढ़ावा देती हैं।" ❑